राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि0,जयपुर

5 वीं व 6ठीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर

Phone : 0141-2741805, E-mail : rschfjaipur@yahoo.com

क्रमांक- 474/18 दिनांक-03.10.2018

विज्ञप्ति

संघ के उपनियमानुसार कार्ययोजना विविधिकरण के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं में फ्लेट्स/भवन/ विला/भूखण्ड आदि तथा बिल्डिंग मैटेरियल यथा मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा-स्टोन, करौली स्टोन एवं अन्य इमारती व सजावटी पत्थर आदि की बिक्री एवं विपणन हेतु पी.पी.पी. मोड पर कार्य करने बाबत् राजस्थान सरकार द्वारा रजिस्टर्ड फर्मो/व्यावसायिक उपक्रमों आदि से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते हैं उक्त कार्यो के लिये संघ द्वारा तैयार किये जाने वाले पैनल में प्रविष्टि हेतु संबंधित फर्म दिनांक 22.10.2018 तक अपने प्रस्ताव संघ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश एवं शर्ते संघ की बेवसाइट www.rschf.com तथा संघ कार्यालय में उपलब्ध हैं।

प्रबंध निदेशक
एवं संयुक्त रजिस्ट्रार

आवासीय योजनाऐं (Terms and Conditions)

1. आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मकान, फ्लेट, विला, अपार्टमेन्ट तथा भूखण्ड आवंटन आदि कार्य सम्मिलित होंगे। इसमें प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. आवासीय योजनाऐं राज्य सरकार के यथाआवश्यक स्थानीय निकाय/ शहरी विकास प्राधिकरण आदि से अनुमोदित भूखण्ड पर ही सृजित हो सकेगी।
3. आवासीय योजना से संबंधित भूखण्ड कानूनी एवं प्रशासनिक विवादों से रहित होना आवश्यक हैं तथा भूखण्ड का स्वामित्व एवं टाइटल पूर्णतः स्पष्ट एवं सही (Clear) हो।
4. संबंधित फर्म को संघ का नॉमिनल सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
5. संबंधित फर्म का रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
6. संबंधित बिल्डर/डिवलपर्स/फर्म द्वारा रेरा में उल्लेखित समस्त नियमों तथा प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
7. संबंधित फर्म तथा इसके प्रोप्राइटर्स/पार्टनर/ डायरेक्टर्स के विरूद्ध फर्म से संबंधित क्रिया-कलापों के लिये कोई कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होनी चाहिए तथा न ही पूर्व में कानूनी/प्रशासनिक रूप से कोई कार्यवाही हुई हों।
8. फर्म से संबंधित प्रोप्राइटर्स/पार्टनर/डायरेक्टर्स या उसमें हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति का किसी भी स्तर से Blacklisted, दिवालिया एवं राजस्व अथवा आपराधिक कृत्यों का दोषी नहीं होना चाहिए।
9. फर्म से संबंधित प्रोप्राइटर्स/पार्टनर/डायरेक्टर्स आदि को आवासीय योजनाओं के सृजन का अनुभव होना आवश्यक है।
10. संबंधित फर्म को सृजित की जाने वाली आवासीय योजना से संबंधित समस्त दस्तावेज यथा टाइटल डीड, आवासीय उपयोग का प्रमाण पत्र, संबंधित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र, ले आउट प्लान तथा अनुमानित प्रति भवन/फ्लेट/भूखण्ड लागत एवं योजना की कुल लागत सहित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
11. फर्म की गत तीन वर्षो की Audited Balancesheet तथा फर्म के Bank A/c, Loans एवं अन्य Assets/Liabities का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
12. संघ द्वारा उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो संघ की दृष्टि से उपयुक्त तथा संघ हित में होंगे।
13. फर्म द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रक्रिया का पालन नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर संघ फर्म को Black list कर सकेगा तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
14. संघ को प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. सभी कानूनी एवं प्रशासनिक विवादों के निपटारे हेतु वाद राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत हो सकेंगे।
16. संघ स्तर से स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में संबंधित फर्म आदि को संघ के साथ पृथक् MOU संपादित करना होगा।

बिल्डिंग मैटेरियल (Terms and Conditions)

1. संघ द्वारा मुख्यरूप से विभिन्न किस्मों के मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन तथा अन्य प्रकार के सजावटी पत्थरों एवं भवन उपयोगी अन्य सामग्री की बिक्री एवं विपणन का कार्य किया जायेगा।
2. संबंधित फर्म को GSTN एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
3. फर्म का कार्यानुभव तथा विगत तीन वर्षो की Audited Balancesheet तथा फर्म के Bank A/c तथा Assets/Liabilities का विवरण प्रस्तुत करने होंगे।
4. फर्म Black Listed, दिवालिया तथा कानूनी एवं प्रशासनिक प्रकरणों में आरोपित/दोषी नहीं होनी चाहिए।
5. संघ को प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. फर्म द्वारा संघ की मांग के अनुरूप संबंधित स्थान एवं व्यक्ति/संस्था को तयशुदा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्डों अनुसार करनी होगी।
7. फर्म द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रक्रिया का पालन नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर संघ फर्म को Black list कर सकेगा तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
8. संबंधित फर्म को संघ का नोमिनल सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
9. सभी कानूनी एवं प्रशासनिक विवादों के निपटारे हेतु वाद राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत हो सकेंगे।
10. संघ स्तर से स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में संबंधित फर्म आदि को संघ के साथ पृथक् MOU संपादित करना होगा।